राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः–डीसी / डी–4 / एम एस–लूज / 2017 / 27 दिनांकः– 27/2/2017

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान

अलर्ट नोटिस

विषय :- डॉ जी एन सिंह, औषधि महानियंत्रक (भारत) नई दिल्ली का ई–मेल दिनांक 20.02.2017 (MEDZOL DRUG ALERT) के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त ई मेल की छायाप्रति उक्त अलर्ट नोटिस के साथ संलग्न कर लेख है कि वर्णित औषधि (MEDZOL) के नाम से दो अलग अलग कैटैगरी की औषधियां मार्केट मे उपलब्ध हो तो इमैसेज की छायाप्रति इस संदर्भ हेतु संलग्न है आपके परिक्षैत्र / जिलें में अपने–अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी / सतर्कता बरतते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीध्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त औषधि के नमूने भी नियमानुसार जॉच हेतु लेना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (1)

27/2/17
(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांकः–डीसी / डी–4 / एम एस–लूज / 2017 / 27 दिनांकः– 27/2/2017

प्रतिलिपि :–

1 डॉ जी एन सिंह, औषधि महानियंत्रक (भारत), एफडीए भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली को उनके ई– मेल दिनांक 20.02.2017 (MEDZOL DRUG ALERT) के सम्बन्ध में। ।

2 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को अलर्ट नोटिस मयसंलग्नक को भेजकर लेख है कि उक्त समस्त सहायक औषधि नियंत्रक / औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को अलर्ट नोटिस मयसंलग्नक की प्रति ई–मेल से भिजवाना एवं Drug Control में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावें।
संलग्न – 01

3 रक्षित पत्रावली।

27/2/17
(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

DRUG ALERT

It is brought to the notice of regulatory staff of all State/U.T Drugs Controllers and Zonal/Sub-Zonal offices of CDSCO that there is a viral "Whatsapp" message in circulation regarding same brand name "MEDZOL" of two different categories of drugs in market(Image shown below for ready reference).

In this regard, all regulatory officials of State/U.T.s and CDSCO are hereby requested to keep strict vigil on the movement of these drugs. Concerned State/U.T. Drugs Controllers, where these drugs have been manufactured, may please investigate the matter and inform this Directorate about the licensing status of these two products on an urgent basis.

This issue may be taken up on TOP PRIORITY.